श्री

अपील क.------

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्ड़ल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

A - 72 - I / 2012

राजेश पिता मोतीलालजी चौहान
निवासी राजेन्द्र नगर रतलाम ———————— अपीलांट

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर रतलाम
3. श्रीमती रजनीबाला पति रामलाल भील,
निवासी ग्राम लोचीतारा तेहसील व जिला रतलाम ———————— रेस्पान्डेन्ट्स

–अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू–राजस्व संहिता–

–अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 31.10.2011 जो निगरानी प्रकरण कमांक –161/स्व.निगरानी/10–11 में पारित आदेश जो स्वमेव निगरानी में लेने पर पारित –किया गया हैं, से असंतुष्ट होकर–

मान्यवर महोदय,

अपीलांट यह अपील न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर सुनवाई के लिये न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन को अंतरित किया, न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 161/निगरानी/2010–11 में सुनवाई कर दिनांक 31.10.2011 को आदेश पारित किया उसके विरूद्ध यह अपील अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं–

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं कि रेस्पांडेन्ट कमांक तीन ने ग्राम लोचीतारा स्थित सर्वे नंबर 78/1 की रकबा 1.460 हैक्टर, की कुल किता 01 की भूमि को रूप्ये 85,000/– प्रतिबिघा के हिसाब से रूप्ये 5,35,500/– में विकय करने का अनुबंध कर, अनुबंध संपादित कर साई पेटे नगद रूप्ये प्राप्त किये व शेष राशी पजीयन के समय देना तय कर अनावेदक कमांक तीन ने भूमि को विकय करने के लिये संहिता की धारा 165:6: के तहत अनुमती के लिये कलेक्टर को आवेदन दिया, अनावेदक के भूमि के विकय का कारण यह हैं कि अनावेदक कमांक तीन उक्त भूमि को विकय कर प्राप्त राशी से ग्राम बावडीखेड़ा मे सर्वे नंबर 37/2 की रकबा 1.800 हैक्टर भूमि कय कर व ग्राम लोचीतारा में ही शेष बची भूमि पर ट्युबवेल लगावकर उसमें सिंचाई करना बताया व शेष बची हुई राशी श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक का कर्ज अदा करना बताया, न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय द्वारा तेहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा प्रकरण कमांक 116/अ–21/10–11 में दिनांक 28.12.2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि विकय करने की अनुमती प्रदान की गयी ।

Rajesh

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-72-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/05/2019	पुनश्च अपीलार्थी अभिभाषक श्री हरषेन्दु भटनागर दिनांक 31.07.2014 को उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा आगामी पेशी दिनांक 13.10.2014 नोट की गई थी। उसके पश्चात वे आज दिनांक 08.05.2019 तक लगभग 22 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रकरण को आगे चलाए रखने में कोई रुचि नहीं हैं। अत: यह प्रकरण अपीलार्थी की अरुचि में समाप्त किया जाता है। (बी.एम. शर्मा) **सदस्य**	